

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-44 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सोमनाथ पासी पुत्र गोली पासी नि० इकनिया माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-13/21, 02. कन्हई पासी पुत्र विश्राम पासी नि० इकनिया माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-14/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेन्द्र निषाद पुत्र रामशंकर निषाद नि० देईपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-41/21, 02. अनिल पुत्र शिव वरदान नि० तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-42/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भगन पुत्र निबर नि० मुजेड़ नरपति पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-32/21, 02. शिवम शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला नि० परसदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-33/21, 03. शेष नाथ पुत्र शिवचन्द्र नि० बनगौव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-34/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दिलदार पुत्र लियाकत नि० उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-12/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बब्लू पुत्र स्व० रामदास नि० गोड़ियन पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-44/21, 02. रंजीत पुत्र सरजू प्रसाद नि० अतरसुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद

कर मु0अ0सं0-45/21, 03. बलवन्त पुत्र सरजू प्रसाद नि0 अतरसुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-46/21, 04. सतीश कुमार वर्मा पुत्र पन्ना लाल नि0 गोसपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-47/21 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सागौन की लकड़ी चोरी करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने सागौन की लकड़ी चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. अभिषेक तिवारी उर्फ प्रिंस तिवारी पुत्र प्रभुनाथ तिवारी नि0 घूरदासपुरवा असरफपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा, 02. रमेश यादव पुत्र ज्वालाप्रसाद नि0 बेनीपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को ऐलनपुर जंगल से सागौन की लकड़ी चोरी करते समय पकड़कर उनके कब्जे से 9 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद कर थाना मनकापुर में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0-26/21, धारा 389.411 भादवि व 26 वन अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. अमित कनौजिया पुत्र कामताप्रसाद, 02. राधादेवी पत्नी कामता प्रसाद निवासीगण साहबगंज बडगांव थाना को0नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-77/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 30.01.2021 को वादी राकेश कुमार पुत्र राजकुमार नि0 जुबलीगंज थाना नानपारा जनपद बहराइच की बहन पूजा को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फासी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 नगर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अशोक पुत्र जगमोहन नि0 ककरहवा मौजा सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-17/21, धारा 323.363.376ए,376बी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-18/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण-

उक्त अभियुक्त ने थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध पीड़िता के पिता द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर रामापुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना कौड़िया में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष कौड़िया मनोज कुमार सिंह।
02. हेड का0 अरुण कुमार यादव।
03. का0 अयोध्या प्रजापति।
04. का0 रवि कुमार।
05. का0 आदित्य राय।